राज्य परिवहन आयुक्त की अध्यक्षता में दिनांक–21.03.2018 को पूर्वाह्न 11.30 बजे बस भाड़ा की समीक्षा कर इसकी वृद्धि पर विचार कर अनुशंसा देने हेतु समिति की उपस्थिति कार्यवाही :–

विभागीय आदेश संख्या–1791 दिनांक–13.03.2018 द्वारा गठित समिति जिसे वर्ष 2014 में निर्धारित बस भाड़े की समीक्षा कर इसकी वृद्धि पर विचार कर अनुशंसा देने हेतु गठित समिति की दूसरी बैठक में उपस्थिति :–

(i) राज्य परिवहन आयुक्त,
बिहार, पटना।

(ii) अपर सचिव–सह
प्रशासन मुख्य बिहार राज्य पथ परिवहन निगम।

(iii) संयुक्त आयुक्त सह–सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, पटना।

(iv) प्रबंधक निदेशक,
बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम।

(v) उप सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

(vi) विशेष कार्य पदाधिकारी,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना

(vii) प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–06
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

1. राज्य परिवहन आयुक्त द्वारा निगम के प्रतिनिधि को पहली बैठक में दिए गए निदेश के आलोक में समर्पित अभिलेख के संबंध में कहा गया कि वे दो–तीन पड़ोसी राज्यों से बस भाड़े में की गई वृद्धि से संबंधित कार्रवाई प्राप्त कर प्रस्तुत करें। साथ ही यह निदेश दिया गया कि बस भाड़े की वृद्धि हेतु औचित्य यथा ईंधन मूल्य में वृद्धि, संचालन व्यय में वृद्धि, वाहनों के कल–पुर्जे में हुई वृद्धि के मद्देनजर बस की श्रेणी वार एवम् राज्यवार एक तुलनात्मक विवरणी प्रस्तुत करें।

2. साथ ही राज्य परिवहन आयुक्त द्वारा विशेष कार्य पदाधिकारी को यह निदेश दिया गया कि वे फेडरेशन के प्रतिनिधियों को पत्र के अतिरिक्त दूरभाष पर भी सूचित कर दें ताकि वे जानकार व्यक्ति के साथ बैठक में सम्मिलित हो सकें।

3. साथ ही समिति के अध्यक्ष द्वारा विशेष कार्य पदाधिकारी को यह निदेश दिया गया कि वे वर्ष, 2014 में निर्धारित भाड़े के आधार संबंधी सूचनाएँ निगम को उपलब्ध करा दें।

4. बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम के प्रतिनिधि द्वारा निगम से निर्धारित भाड़े के संबंध में सूचना दी गई।

5. समिति के अध्यक्ष द्वारा इस बात पर बल दिया गया कि चूँकि सरकार द्वारा बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के साथ–साथ प्राइवेट बसों के भाड़े का भी निर्धारण किया जाता है अतः निगम के साथ–साथ विभिन्न फेडरेशन/एसोसिएशन के प्रतिनिधियों का मंतव्य ले लिया जाना आवश्यक है।

6. राज्य परिवहन आयुक्त द्वारा यह भी निदेश दिया गया कि मुख्यालय में पदस्थापित मोटरयान निरीक्षक को भी समिति में विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में बुलाया जाए।

7. समिति की अगली बैठक दिनांक–26.03.2018 को पूर्वाह्न 11:30 बजे निर्धारित की गई है।

8. जिला परिवहन पदाधिकारी, पटना बैठक में अनुपस्थित हैं। उन्हें बैठक में अनिवार्य रूप से भाग लेने हेतु निदेशित करें।

सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

ह0/–
(अनुपम कुमार)
राज्य परिवहन आयुक्त

ज्ञापांक :– 2365 पटना, दिनांक :– 5/4/18

प्रतिलिपि :–सचिव, के प्रधान आप्त सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना/राज्य परिवहन आयुक्त के आप्त सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना/अपर सचिव–सह प्रशासन मुख्य, बिहार राज्य पथ परिवहन निगम/संयुक्त आयुक्त सह–सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, पटना/जिला परिवहन पदाधिकारी, पटना/उप सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना/विशेष कार्य पदाधिकारी, परिवहन विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–06, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक एवं कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/03/18

(अनुपम कुमार)
राज्य परिवहन आयुक्त

139 IF:\MLetter